

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/1362

दिनांक: 24/02/2021.

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (नगरपालिका)
भरतपुर, झुंझुनू, जोधपुर, नागौर एवं पाली।

विषय:-नगरीय निकायों में रिक्त पदों पर उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम एवं दिशा निर्देश।

महोदय,

आयोग द्वारा नगरीय निकायों में रिक्त हुए वार्डों/पदों पर आयोग द्वारा उप चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया गया है। उपचुनाव कराने से पूर्व संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 13 से 15 तथा राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के अनुसार करवाया जाना है। नगरपालिकाओं के लिए वार्डवार निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उनके संबंध में प्राप्त दावों और आक्षेपों का निस्तारण कर मतदाता सूचियों को अंतिम रूप से तैयार कर प्रकाशित करने का दायित्व निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों का है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रणाधीन रहते हुए मतदाता सूचियों की तैयारी से संबंधित समस्त कार्य संपादित करेंगे।

राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड 16 के उपखण्ड (1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी उप चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में करवाया जाएगा। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, के डेटाबेस के आधार पर तैयार कर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर अग्रिम कार्यवाही संपादित की जाएगी।

A. विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर नगरीय निकायों के रिक्त पदों की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया:-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रुमेंट्स लिमिटेड (सील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi), जो url- esuchi.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है, के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को नगरपालिका के वार्ड के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से तैयार करवाएंगे।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि नगरीय निकाय चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।
3. नगरीय निकाय संस्थाओं के चुनावों के लिए मतदान केन्द्रों की स्थापना के संबंध में जारी पत्र संख्या 1347 दिनांक 18.04.2019 के बिन्दु संख्या-14 में यह निर्देश प्रदान किये हैं कि प्रत्येक भाग में सामान्यतः 1400 मतदाता रखे जाए, किन्तु कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा उक्त सीमा को 1000 तक सीमित कर दिया गया है ताकि मतदान के समय मतदाताओं के मध्य सोशल

डिस्टेंसिंग रखी जा सके। अतः मतदान बूथ स्थापित करते समय एक बूथ पर मतदाताओं की संख्या लगभग 1000 तक रखी जाए। इसमें यदि किसी मतदान केन्द्र पर 1000 से कुछ अधिक मतदाता हो जाते हैं, तो उस पर विचार नहीं किया जाए।

4. प्रपत्र ए-1 को तैयार करने से लेकर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने तक की तिथियां निम्नानुसार रहेंगी:-

क्र. सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार करने की अंतिम तिथि	03.03.2021
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	07.03.2021
3.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर प्रोसेस करने की अंतिम तिथि	08.03.2021
4.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	09.03.2021
5.	चैकलिस्ट को वैरीफाई करने की अंतिम तिथि	12.03.2021
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हुआ तो)	14.03.2021
7.	संशोधित प्रपत्र-1 को प्रोसेस करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
9.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	15.03.2021

5. प्रगणकों से प्रपत्र ए-1 तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर Excel Sheet (.CSV format) में अपलोड करवाएंगे। उक्त लिंक पर सूचनाओं को अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा।
6. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात नगरीय निकायों की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची चैक लिस्ट का प्रिंट लेकर दिनांक 12.03.2021 तक संबंधित प्रगणक द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम नगरीय निकाय के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र-ए त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए ऐसे मतदाताओं से संबंधित वार्ड/भाग के लिए संशोधित प्रपत्र-ए तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना निर्धारित तिथि तक अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची समय पर तैयार कर लें।

B. उपचुनाव हेतु मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	17.03.2021 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	20.03.2021 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.03.2021 (शुक्रवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	20.03.2021 एवं 21.03.2021 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	05.04.2021 (सोमवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	16.04.2021 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	19.04.2021 (सोमवार) को

C. निर्वाचक नामावली तैयार करने हेतु सामान्य निर्देश :-

1. नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा-13(5) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है जिसकी आयु अर्हता की तिथि को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा जो संबंधित वार्ड का मामूली तौर पर निवासी हो। मामूली तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण धारा-13(5) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 को अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है, इसलिए जिस व्यक्ति की आयु 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र होगा।
2. राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 13(6) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम नगरीय निकाय में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता तथा धारा 13(7) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। यह सम्भव है कि नगरीय निकाय क्षेत्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में किसी व्यक्ति का नाम त्रुटिवश एक से अधिक बार सम्मिलित हो गया हो ऐसे व्यक्ति का नाम उसी एक स्थान पर रहने दिया जावे, जहां के लिए वह पात्र है तथा शेष स्थान/स्थानों से उसका नाम हटा दिया जाए।
3. किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
4. किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex-Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष मतदाता के रूप में प्रकट नहीं करना चाहे तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
5. चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः एक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र हेतु चयन किए गए कक्षों के मध्य पर्याप्त दूरी हो। यदि किन्ही कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो नगरीय निकाय मुख्यालय पर उपलब्ध अन्य किसी भवन में मतदान बूथ की स्थापना की जाए ताकि मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके।
6. राजस्थान नगरपालिका निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आदेश, 1974 के खण्ड-8 के अनुसार नगरीय निकायों के रिक्त वार्डों की मुद्रित सूचियों से निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप का प्रकाशन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी व संबंधित नगरीय निकाय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर तथा वार्ड में सहज दृश्य कम से कम दो स्थानों पर किया जायेगा। मतदाता सूची के प्रकाशन हेतु नोटिस उपरोक्त आदेश, 1974 में प्ररूप-2 में विहित किया हुआ है। उपचुनाव हेतु तैयार संबंधित रिक्त वार्ड की निर्वाचक नामावलिआं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी और संबंधित नगरीय निकाय के कार्यालय में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रखी जावेगी।
7. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियाँ प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में मध्याह्न पश्चात 2 बजे से सायं 5 बजे तक उपस्थित रहेंगे। चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावे एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।

8. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया उक्त आदेश, 1974 के खण्ड-12 में बतायी गयी है। इसके अलावा खण्ड-13 व खण्ड-14 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से भी कार्य करने की प्रक्रिया बतायी गयी है। दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम हटाये जाने की प्रक्रिया के पश्चात् निर्वाचक नामावलियों की पूरक सूची भागवार तैयार कर ई-सूची (e-suchi) पर अपलोड की जाएगी। इसके बाद पूरक सूची का लेजर प्रिंट लेकर आवश्यकतानुसार फोटो प्रतियां कराकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन उक्त आदेश, 1974 के खण्ड 15 में विहित प्ररूप-7 में किया जावेगा।
9. नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का परामर्श है कि मतदाताओं को दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन माध्यम का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावे व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया ई-सूची ऑपरेशन मैनुअल में बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त ऑपरेशन मैनुअल ई-सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।
10. आयोग के परिपत्र सं० 4(1)(6) नपा/रानिआ/94/299 दिनांक 14.10.94 के अनुसार निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन के समय तथा अंतिम प्रकाशन के समय उपचुनाव हेतु तैयार नगरीय निकायों के रिक्त वार्डों की निर्वाचक नामावलियों का एक-एक सैट मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत प्रतिनिधियों को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए।
11. नगरीय निकायों के रिक्त पदों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम तथा मतदान केन्द्रों पर विशेष अभियान की तिथियों का समाचार पत्रों में विज्ञापनों के माध्यम से तथा पम्फलेट वितरित करवाकर विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विद्यालयों के प्रार्थना-सभाओं में विद्यार्थियों को कार्यक्रम की तिथियों सहित पूर्ण जानकारी देने हेतु शाला प्रधानों को निर्देशित किया जाए, ताकि विद्यार्थी अपने परिवारजनों को अवगत करा सकें। जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने-अपने स्तर पर राजनैतिक दलों/स्वयं सेवी संस्थाओं की बैठक आयोजित कर उन्हें नगरीय निकायों के रिक्त पदों की मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के कार्य से जोड़े ताकि सभी योग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े जा सकें।

इन रिक्त पदों की निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 तथा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण) आदेश, 1974 में उपलब्ध विधिक प्रावधानों एवं आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए।

समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा है कि वे अपने कार्य को उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर सम्पन्न करेंगे। यदि निर्वाचक नामावली में नाम छूटने या गलत नाम जुड़ने की व्यापक शिकायतें प्राप्त होती हैं तो आयोग राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 20 के अन्तर्गत संबंधित दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा। इस धारा के प्रावधान को जिला निर्वाचन अधिकारी समस्त संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के ध्यान में लाए।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इन संस्थाओं के 31.01.2021 के बाद आज दिनांक तक कोई रिक्ति उत्पन्न हो गई हो तो उन क्षेत्रों की मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण भी उक्त कार्यक्रमानुसार करवा लिया जावे एवं ऐसी रिक्तियों की सूचना आयोग को भी प्रेषित की जावे।

अतः उपरोक्त कार्यक्रमानुसार कार्यवाही करने का श्रम करें तथा दिनांक 17.03.2021 को प्रारूप प्रकाशन एवं दिनांक 19.04.2021 को अंतिम प्रकाशन की सूचना आयोग को उसी दिन ई-मेल के माध्यम से अनिवार्यतः भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

20/3/21

विशेष नोट – कोरोना वैश्विक महामारी (कोविड-19) को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए यद्यपि उक्त निर्देशों में सावधानी रखने हेतु यथा स्थान निर्देश अंकित किए गए हैं, फिर भी निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए :-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान पूर्ण समय मास्क एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट की दूरी रखी जाएगी।
3. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाने पर उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
4. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

संलग्न:- रिक्त पदों की सूची

आज्ञा से,



(चित्रा गुप्ता)

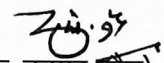
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 24/02/2021.

क्रमांक: एफ.4(2)(1)नपा/रानिआ/2021/1363-1367

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक/सचिव/उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0, जयपुर।
5. लेखा/स्टोर/सांख्यिकी/पंचायत शाखा राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

नगरीय निकाय उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	नगरनिगम/नगरपरिषद /नगरपालिका का नाम	रिक्त वार्ड सं.	वर्गीकरण	रिक्ति का कारण
1.	भरतपुर	न.नि. भरतपुर	04	अपिव महिला	त्याग पत्र
2.	झुंझुनू	न.प. झुंझुनू	52	सामान्य	त्याग पत्र
3.	जोधपुर	न.पा. पिपाड़ शहर	23	सामान्य (महिला)	त्याग पत्र
4.	नांगौर	न.पा. डीडवाना	06	सामान्य	मृत्यु
5.	पाली	न.पा. सुमेरपुर	33	अजजा	त्याग पत्र